कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 25 /अ0क0री0/का.से./2022
प्र0क0/0164 /अ-74/2022-23

इन्दौर, दिनांक 24/08/22

प्रारूप-7 एवं 8
(नियम 20 देखिए)
पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं बंधक भूखण्डो को निर्मुक्त करने हेतु

कॉलोनाइजर अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पता :- 05, यशवंत निवास रोड़, इंदौर, जिला-इंदौर के द्वारा ग्राम-देवगुराडिया, तहसील-बिचौलीहप्सी, जिला-इंदौर के भूमि सर्वे नंबर 66/1 रकबा 1.214 हे0, 138/2 रकबा 1.040 हे0, कुल रकबा 2.254 हे., पर विकसित कॉलोनी " **एमराल्ड अनंत** " के विकास की कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र एवं बंधक भूखंड निर्मुक्त करने हेतु आवेदन-पत्र कार्यालय कलेक्टोरेट हेल्पलाईन में दिनांक 19 मई 2022 को प्रस्तुत किया गया। जिसके तारतम्य में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड़, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मूसाखेडी, इंदौर, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 इंदौर, कार्यपालन यंत्री(संचा/संधा) संभाग म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर हुए विकास कार्यो के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, प्रकरण में स्थिति निम्नानुसार पाई गई :-

01- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड़, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मूसाखेडी, इंदौर ने अपने प्रतिवेदन कमांक/2850/तक./का.यं./लो.स्वा.यां.खण्ड/2022-23 इंदौर, दिनांक 27.07.2022 में प्रतिवेदित किया है कि उक्त विकसित कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी में ट्यूबवेल, सम्पवेल, पाईप लाईन, स्ट्राम वाटर लाईन, सीवरेज लाईन, एस.टी.पी. (सिविल कार्य पूर्ण) इत्यादि कार्य किये गये है। आवेदक को कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदाय करने में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।(फोटोग्राफ संलग्न)

02 कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क. 1 इंदौर ने अपने पत्र-क्रमांक 1996/ तशा/2022-23 इंदौर, दिनांक 08.07.2022 द्वारा उपरोक्त कॉलोनी की कार्यपूर्णता के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि - उक्त आवासीय कॉलोनी का अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, जिला उपसंभाग क्रं. 1. इन्दौर द्वारा स्थल निरीक्षण

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

किया गया। अतः उपरोक्त भूमि की कार्य पूर्णता के संबंध में बिन्दुवार अभिमत निम्नानुसार हैः— उपरोक्त कॉलोनी में आवेदक द्वारा आंतरिक/बाह्य विकास कार्य पूर्ण किया है, मौके पर स्वीकृत नक्शे के अनुरूप उपरोक्त कॉलोनी में मौके पर भूखंडों के लिए स्थान छोडा गया है। बगीचे पूर्णतः विकसित किए गए है, रोड़ मानक अनुसार बना दिये गये है एवं ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी के लिए आरक्षित भूमि सुरक्षित रखी गई है। अतः अन्य विभागों के बिन्दुओं के निराकरण होने पर पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है।

03— कार्यपालन यंत्री(संचा./संधा.) संभाग म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.–इंदौर ने अपने पत्र–कमांक /3272/ कापायं/सं–सं/कार्य/2022–23 इंदौर, दिनांक 22.06. 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि– उक्त कॉलोनी का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत ई. आर.पी. कं. 278509 दिनांक 20.07.2021 अनुसार पूर्ण कर दिया गया है तथा उक्त कार्य में कोई भी आपत्ति नहीं है व दिनांक 03.02.2022 को उक्त कॉलोनी को ऊर्जीकृत कर विद्युतीकृत किया जा चुका है।

04— प्रभारी अधिकारी, कॉलोनी सेल, जिला–इंदौर के पत्र–कमांक 76/का.से./2022, इंदौर दिनांक 29.04.2022 के अनुसार उक्त आवासीय कॉलोनी **"एमराल्ड अनंत"** में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस. के 10 एवं एल.आई.जी. के 05 भूखण्ड, कुल 15 भूखण्डों के पात्र हितग्राहियों की सूची मय नस्ती सहायक, कॉलोनी सेल से प्राप्त हुई। कॉलोनाईजर एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लाटरी डालकर प्लाट का आंवटन किया गया। प्लाट आंवटिती के पक्ष में पंजीकृत विक्रय–पत्र की प्रति शा.फा. है।

05— आवेदित फर्म का रेरा पंजीयन कमांक पी–आई.एन.डी.–21–2925 दिनांक 06.10.2021 है।

06— आपके द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ–पत्र क्रं. 6034/2022 दिनांक 17.05.2022 एवं शपथ–पत्र कमांक 10756 दिनांक 08 अगस्त 2022 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा –

- इस प्रोजेक्ट के समस्त भूखण्ड का विकय रेरा में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही किया जावेगा।
- आपके द्वारा डायरी पर एवं अन्य किसी भी अवैधानिक दस्तावेज के माध्यम से प्लाट का विकय नहीं किया जावेगा।
- आपको " **एमराल्ड अनंत** " कॉलोनी में 12 मीटर रोड के लास्ट में एक साईड पेवर्स ब्लाक लगाया अनिवार्य होगा।

अतः कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड़, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मूसाखेडी, इंदौर, कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क. 1 इंदौर, कार्यपालन यंत्री(संचा/संधा) संभाग म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार

प्रश्नाधीन भूमि पर विकास कार्य पूर्ण प्रतिवेदित होने के आधार पर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के नियम 20 अन्तर्गत कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं बंधक भूखण्डो को निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

अतएव नीचे वर्णित बंधक भूखंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मुक्त किये जाना अनुमोदित किया जाता है–

बंधक सम्पत्ति का विवरण

भूखण्ड कमांक 01 से लगायत 29 तक, 37 से लगायत 44 तक, 75, 76 व 77, इस प्रकार कुल 40 भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 2764.62 वर्गमीटर है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

स्थानः– इन्दौर

दिनांकः–24/08/2022

अपर कलेक्टर,
जिला इन्दौर
अपर कलेक्टर कालोनी सेल शाखा जिला इंदौर

पृ क्रमांक / 26 /अ0क0री0/का.से./2022 इन्दौर, दिनांक 24/8/22

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला–पंचायत, जिला–इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिला पंजीयक, जिला–इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग–बिचौलीहप्सी क्षैत्र इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– तहसीलदार, तहसील–बिचौलीहप्सी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5– सचिव, ग्राम पंचायत देवगुराडिया, तहसील–बिचौलीहप्सी, जिला–इन्दौर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– श्री मुकेष सिंह पटेल, राजस्व निरीक्षक, कॉलोनी सेल, जिला–इंदौर को उक्त भूखण्ड निर्मुक्त किए जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा अधिकृत किया जाता है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पता :– 05, यशवंत निवास रोड़, इंदौर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर
अपर कलेक्टर कालोनी सेल शाखा जिला इंदौर